



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092025-266351
CG-DL-E-24092025-266351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4201]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4201]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4319(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH707A कि.मी 160.00 से कि.मी 175.00 खण्ड के पेंड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH707A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिलो का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तराखण्ड	देहरादून	देहरादून	1 लण्डोर

अध्यापि अधिकारी. (एस.एल.ए.ओ.), देहरादून	NH707A के कि.मी 160 से कि.मी 175 तक			
--	---	--	--	--

[फा. सं. NH-72B(707)-UR-2020-21-581]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4319(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 160.00 to 175.00 of (NH707A) in the State of UTTARAKHAND.

SCHEUDLE

Land acquisition on National Highway No. NH707A in the State of UTTARAKHAND

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Special Land Acquisition Officer (S.L.A.O), Dehradun	NH707A KM 160 TO KM 175	UTTARAKHAND	DEHRADUN	Dehradun	1 Landour

[F. No. NH-72B(707)-UR-2020-21-581]

SHAIKH AMINKHAN, Director